कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:—कार्यालय आदेश—:

राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम—1971 के नियम—17 के राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांकः प. 9(5)(30)कार्मिक/क—3/जाँच/2004 दिनांक 18.11.2006 के क्रम में अनुसरण श्री राकेश कुमार पारगी, व्याख्याता राजनीति विज्ञान राजकीय जनजाति बालिका आवासीय विद्यालय, हरेंगजी का खेड़ा बांसवाड़ा को जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बांसवाड़ा की अभिशंषा एवं आवेदन पत्र के आधार पर गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा से त्रिवर्षीय एल.एल.बी. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष मे सम्मिलित होने की अनुज्ञा निम्नांकित शर्तो के आधार पर प्रदान की जाती है :—

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
2. कार्मिक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग—अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. कार्मिक को इस वर्ष अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है, परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा, केवल अर्जित अवकाश ही देय होगें।
6. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
7. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगी।
8. प्रशासनिक कारणोवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।

Rajasthan Education Department

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकःशिविरा/मा/संस्था/सी—6/राज0विज्ञान/परीक्षा अनुज्ञा/2023/ दिनांकः— 10/04/2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.................।
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी............................।
3. अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ
4. संबंधित संस्था प्रधान.........................।
5. संबंधित कार्मिक
6. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Arvind Kumar Vyas
Designation : Joint Director Personnel
Date: 2023.04.10 22:00:48 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3595367

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—:: **कार्यालय आदेश** ::—

निम्नांकित व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) को विदेश यात्रा पर जाने की स्वीकृति–निम्नांकित शर्तो के आधार पर दी जाती है:–

क्र.सं.	नाम कार्मिक, विषय मय पदस्थापन स्थान	अवधि	विदेश का नाम जहां यात्रा करनी है
1	BABY TARANNUM GSSS ANANTPURA, KOTA (216793)	FROM DATE 03-06-2023 TO 11-06-2023	TORONTO CITY, CANADA
2	RAM PRASAD SHARMA GSSS BAJOR, PIPRALI, SIKAR (213392)	FROM DATE 24-05-2023 TO 30-06-2023	BRAMPTON, CANADA
3	NARAYAN RAM PANWAR GSSS MELUSAR, RATANGARH, CHURU (215594)	FROM DATE 18-05-2023 TO 20-06-2023	UNITED KINGDOM
4	GIRDHARI LAL RAIGAR GSSS BHANPUR KALAN JAMWA RAMGARH JAIPUR (218649)	FROM DATE 14-04-2023 TO 21-04-2023	BENGKOK, THAILAND

Rajasthan Education Department

1. विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय नही करेंगे।
2. विदेश यात्रा के लिए प्रथम बार में आवेदित अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि राज्य सरकार की अनुमति बिना स्वीकृति नही होगी तथा निर्धारित अवधि के बाद लौटकर नहीं आने पर सी. सी.ए नियमो के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
3. विदेश से भेजा गया ''त्यागपत्र'' स्वीकृत नही किया जावेगा।
4. विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनियम नही किया जायेगा एवं न ही राजकीय स्त्रोत से इन्हें कोई विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जायेगी।
5. उक्त कार्मचारी सक्षम अधिकार से अपना अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात ही विदेश को प्रस्थान करेंगे। अवकाश समाप्ति के तत्काल पश्चात संस्था में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से देनी होगी। एक बार में स्वीकृत अवकाश को आगे बढाया नही जायेगा।
6. विदेश प्रवास के दौरान किसी भी प्रकार का नियोजन स्वीकार नही करेंगे।
7. विदेश प्रवास के दौरान जहां–जहां पर रहेगें उनके पत्ते इस विभाग को तुरन्त अवगत करावें।
8. विदेश प्रवास के दौरान किसी प्रकार का अध्ययन नही करेंगे।
9. यात्रा का समस्त खर्चा स्वयं के द्वारा वहन किया जावेगा।

Signature valid

Digitally signed by Arvind Kumar Vyas
Designation : Joint Director Personnel
Date: 2023.04.10 21:55:33 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3608918

10\. (अ) सक्षम अधिकारी द्वारा विदेश जाने हेतु जब भी अवकाश स्वीकृत किया जावे उससे पूर्व यह पुष्टि आवश्यक रूप से कर लें कि उक्त कर्मचारी के विरूद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित/विचाराधीन नही है।

(ब) कर्मचारी के विरूद्ध तत्समय कोई न्यायिक वाद लम्बित/विचाराधीन नही है।

(स) कर्मचारी के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का कार्य प्रभावित नही हों।

(द) कर्मचारी द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजो को हस्तान्तरणपूर्ण रूप से कर दिया गया है।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–6/रावि/विदेश–यात्रा/2023 दिनांकः– 10.04.23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक।
3. संबंधित प्रधानाचार्य...।
4. संबंधित कार्मिक..।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु।
6. निजी एवं रक्षित पत्रावली।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

सहायक निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Signature valid
Digitally signed by Arvind Kumar Vyas
Designation : Joint Director Personnel
Date: 2023.04.1[illegible]:55:33 IST
Reason: Approved

Raj Ref No. 603918